फर्द अहकाम

मूलचन्द बनाम राजस्थान सरकार

...ना पत्र संख्या: 300/2024

...ांक ...09.2024

आज्ञा विस्तृत रूप से | **विशेष विवरण**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया बहस प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि मैं मूलचंद पुत्र नानग राम, जाति जाट, निवासी नानग राम की ढाणी जोतडावाला सांगानेर जयपुर का हूँ मेरे राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी नया खाता संख्या 81 व पुराना 72 तथा खसरा न. 294/1. 295, 296, 399/2, 400, 428/606 स्थित ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू.अभि.नि. क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम मुरली पुत्र नानगा दर्ज है जो घर का बोलता नाम है जबकि मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो में मेरा नाम मूलचंद दर्ज है। यह कि मैं अपने उक्त राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में दस्तावजो वाला नाम मूलचंद पुत्र नानगराम दर्ज करवाना चाहता हूँ। उक्त राजस्व रिकार्ड की की जमाबंदी में गलत नाम मुरली पुत्र नानगा के स्थान पर सही दस्तावेजो वाला नाम मूलचंद पुत्र नानग राम दर्ज करवाना चाहता हूँ।

अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है में मेरी जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में मेरा सही करवाने बाबत पेश कर रहे है श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा राजस्व रिकार्ड में नाम सही दर्ज करवाने का आदेश पारित करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

बहस प्रार्थी एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ जोतडावाला, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू. अभि.नि. क्षेत्र शिकारपुरा, तह[illegible] स्थित जमाबंदी नया खाता संख्या 81 व पु[illegible] 72 [illegible] प्रार्थी के नाम मुरली पुत्र नानगा के [illegible] पुत्र नानग राम दुरूस्त किये [illegible] जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को खु[illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:59:58 IST
Reason: SelfAttested